22.3.17 वकील प्रार्थीगण व विप्रार्थी
सं० 1 व 2 के वकील उपस्थित शेष
विप्रार्थी अनुपस्थित नायब तहसीलदार
सिणधरी के मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई।
अहलमद प्रकरण के अंतिम बहस
सुनी गई। प्रार्थी का आवेदन पत्र
आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर
विवादित भूमि [illegible] पाती [illegible]
राजस्व रिकॉर्ड दिनांक 31.08.2016
को मूलवाद के निर्णय तक कायम
किया जाता है। विपक्षी रिकॉर्ड
प्रकार से हस्तक्षेप आदि [illegible]
गया और शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली [illegible] कुमार [illegible]
दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
22/3/17

**सहायक कलक्टर**
**SDO सिणधरी**

Scanned by CamScanner

# न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) सिणधरी

**पीठासीन अधिकारी : श्री नाथूसिह राठौड़, आर.ए.एस.**

राजस्व आवेदन सं.116 / 2016

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1.भेरा पुत्र कोहला<br>2.छगना पुत्र कोहला<br>3.तेजाराम पुत्र राणाराम<br>जाति सुथार निवासी महादेवपुरा ग्राम पंचायत कमठाई तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर | | 1.सरपंच ग्राम पंचायत कमठाई पंचायत समिति सिणधरी<br>2.ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत कमठाई पंचायत समिति सिणधरी<br>3.विकास अधिकारी पंचायत समिति सिणधसरी<br>4.रामाराम पुत्र शंकरा<br>5.पुनमाराम पुत्र शंकरा<br>6.धापुदेवी पत्नि शंकरा<br>7.पुखराज गोदपुत्र देवाराम जाति सुथार निवासी महोदवपुरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर(विप्रार्थी स.4 से 7 तक सभी व्यस्क है)<br>8.शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे.शाखा सिणधरी<br>9.शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी.शाखा सिणधरी<br>10.तहसीलदार सिणधरी |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**सहायक कलक्टर**
**SDO सिणधरी**



Scanned by CamScanner

उपस्थिति :–

1. श्री डालूराम चौधरी,अधिवक्ता,प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री दुर्गाराम पुनिया,अधिवक्ता विप्रार्थी स.1व 2 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी स.3 से 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

## आदेश

दिनांक– 22.3.17

1.सक्षेप में आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी स.4 से 7 की संयुक्त खातेदारी ग्राम महादेवपुरा तहसील सिणधरी के खसरा सख्या 1 रकबा 214–04 बीधा व खसरा सख्या 24 रकबा 75–09 बीधा भूमि अवस्थित है। जिसमे प्रार्थीगण व विप्रार्थी स.4 से 7 की रहवासी ढाणी,पानी के टांके,आदि बने हुए है,जिस पर प्रार्थीगण व विप्रार्थी स.4 से 7 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण व विप्रार्थी स.4 से 7 की खातेदारी भूमि मे विप्रार्थी स.1 से 3 द्वारा बिना विवादित भूमि को समर्पण करवाये गलत तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के बीचो बीच सड़क का निर्माण कार्य करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसका विप्रार्थी स.1 व 2 को कोई वैधिक अधिकार नही है,विप्रार्थी स.1 व 2 द्वारा जबरदस्ती प्रार्थीगण व विप्रार्थी स.4 से 7 की खातेदारी भूमि मे निर्माण कार्य करवाने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष मे विप्रार्थी स.1से 3 के विरूद इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा मूलवाद के निर्णय तक जारी की

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

जावे,कि ग्राम महादेवपुरा तहसील सिणधरी के खसरा सख्या 1 रकबा 214–04 बीधा व खसरा सख्या 24 रकबा 75–09 बीधा भूमि के सबंध मे विप्रार्थी स.1 से 3 किसी प्रकार का हस्तक्षेप,परिर्वतन एवं बाधा कारित न तो स्वंय करे। तथा न ही अन्य के जरिये करावे। तथा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि मे ग्रेवल सड़क बनाने का कार्य नही करे। एवं विवादित भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी के आवेदन पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी स.1 व 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थीगण के आवेदन पत्र के तथ्यो का खण्डन करते हुए जबाव पेश कर आवेदन पत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी स.3 से 10 बावजुद सुचना के हाजिर नही हुई। विवादित भूमि के सबंध मे मौका रिपोर्ट तलब की गई।

3.उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण की बहस है,कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के विरूद एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है,साथ ही हस्तगत आवेदन पत्र पेश किया गया है,जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए विवादित भूमि पर अन्तरिम सथगन आदेश दिनांक 31.08.2016 को जारी किया गया था। जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण सभावना है। कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी स.4 से 7 की संयुक्त खातेदारी ग्राम महादेवपुरा तहसील सिणधरी के खसरा सख्या1 रकबा 214–04 बीधा व खसरा सख्या 24 रकबा 75–09 बीधा भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण व विप्रार्थी

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

स.4 से 7 ने अपने खातेदारी के खेत खसरा सख्या 1 मे से सरहद मौजा ऐवाड़ी मानजी के सेढ ग्रेवल सड़क निकालने को दी गई थी,परन्तु विप्रार्थी स. 1 से 3 ने सड़क निकलने को दी गई सहमति से हटकर प्रार्थीगण के खेत के बीचो बीच जहां प्रार्थीगण की काश्त की हुई है,मे से खेत को दो भागो मे विभाजित कर सड़क बनाने मे आमादा है,कि वर्तमान समय मे विप्रार्थी स.1 व 2 ने प्रार्थीगण व विप्रार्थी स.4 से 7 के खेत खसरा सख्या 1 व 24 मे सरहद मौजा ऐवाड़ी मानजी की सीमा वाले सेढे को छोड़कर प्रार्थीगण के खेत मे बीचो बीच मे ग्रेवल सड़क का अर्थवर्क करने पर उतारू है,यदि इसमे सफल हो गये तो प्रार्थीगण के वाद व आवेदन का मकसद ही समाप्त हो जाऐगा। आगे ओर कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे विप्रार्थी स.1 से 3 को किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है,कि प्रार्थीगण की बिना सहमति के उसकी खातेदारी भूमि मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य करवाया जावे।लेकिन विप्रार्थी स.1 से 3 द्वारा गलत तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे सड़क निकालने का प्रयास किया जा रहा है,जो विधि संगत नही है,क्योकि विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है एव नायब तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट मे आया है,कि विप्रार्थी स.1 से 3 ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे सड़क निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे बनते है। अतःप्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवादित भूमि के सबंध मे अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 31.08.2016 को मूलवाद के निर्णय होने तक कन्फर्म किया जावे।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

**4.इसके** विपरीत वकील विप्रार्थी स.1 व 2 की बहस है,कि प्रार्थीगण की ओर से हस्तगत आवेदन पत्र झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है,जिसमे सफलता मिलने की कोई संभावना नही है। कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी स.4 से 7 ने अपनी स्वतत्रं सहमति व जानकारी से एक सहमति समझौता पत्र निष्पादित किया गया,कि हमारी खातेदारी की भूमि खसरा स.01 रकबा 214–04 बीधा मे से मनरेगा योजना के तहत ग्राम महादेवपुरा के लिये ग्रेवल सड़क निर्माण करेन हेतु भूमि अनुदान करते है,तथा समझौता पत्र के साथ नक्शा भी प्रस्तुत किया गया,जिस पर प्रार्थीगण व विप्रार्थी स.4 से 7 के हस्ताक्षर है,इस प्रकार प्रार्थीगण व विप्रार्थी स.4 से 7 द्वारा समझौता पत्र व प्रमाणित नक्शा ग्राम पंचायत द्वारा आम बैठक मे प्रस्ताव पारित कर उक्त ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाने हेतु वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति हेतु जिला परिषद बाड़मेर को राष्ट्रीय रोजगार गांरटी स्कीम राजस्थान की वर्ष 2015–16 को जिला परिषद पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्य योजना को तकनिकी स्वीकृति हेतु आवेदन प्रेषित किया गया,जिस पर जिला परिषद बाड़मेर द्वारा दिनांक 18.01.2016 को ग्रेवल सड़क निर्माण सर्म्पक सड़क राणेरी से कमठाई सरहद तक व ग्रेवल निर्माण सम्पर्क सड़क डण्डाली से एवाड़ी चौसिरा के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर निर्माण हेतु 42.66 लाख रूपये स्वीकृत किये गये। तत्पश्चात राज्य सरकार के निर्दशानुसार आम जनता के हितार्थ एवाड़ी चौसीरा से सिणधरी ड़डाली सड़क मिलान करने वाली ग्रेवल सड़क का निर्माण पुरा हो चुका है,जिस निर्माण कार्य मे प्रार्थीगण व विप्रार्थी स.4 से 7 ने इस ग्रेवल सड़क पर काम किया तथा काम के बदले

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

भुगतान भी प्राप्त किया गया तथा उससे आगे अब प्रार्थीगण के समझौता पत्र के अनुसार प्रार्थीगण के खेत मे निर्माण प्रारम्भ किया गया,तो प्रार्थीगण की नियत मे खोट आने से अपने समझौता पत्र मे प्रस्तावित नक्शे से मुकर कर ग्रेवल सड़का का निर्माण नही करवाने दे रहे है,जबकि विप्रार्थी स.1 व 2 द्वारा मौके पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अनुसार ही निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। आगे ओर कथन किया कि विप्रार्थी स.1 व 2 द्वारा ग्रेवल सड़क का निर्माण प्रार्थीगण के खेत तक करवाने के बाद अब प्रार्थीगण के खेत सड़क निर्माण का अवसर आने पर प्रार्थीगण अपने समझौता पत्र व नक्शे से मुकर गये है,तथा अपनी भूमि मे सड़क निर्माण नही करवाने दे रहे,क्योकि प्रार्थीगण को अपना खेत सड़क मार्ग से जुड़ गया है,परन्तु अपने खेत मे निर्माण नही करने दे रहे है,जबकि प्रार्थीगण स्वंय अपने समझौता पत्र से विबधित है,तथा सड़क निर्माण मे बाधा पैदा नही कर सकते है,इस कारण विप्रार्थी स.1 से 3 के विरूद जारी स्थगन आदेश को खारिज किया जावे। आगे ओर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत कमठाई के सरंपच व ग्रामसेवक के विरूद वाद पेश किया गया था,विप्रार्थी स.1 व 2 राजस्थान पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि है,तथा राजस्थान पंचायती राज संस्थान के किसी भी प्रतिनिधि के विरूद वाद दायर करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 109 के तहत दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना अति आवश्यक है,जो विधि का एक आज्ञापक नियम है,जिस नोटिस के अभाव मे पंचाती राज संस्थान के प्रतिनिधियो के विरूद किसी प्रकार भी प्रकार का दावा चलने योग्य नही होंने के कारण वादीगण/प्रार्थीगण का वाद

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

व आवेदन खारिज योग्य है,इस प्रकार प्रथम द्वष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे नही बनकर विप्रार्थी स.1 व 2 के पक्ष मे बनती है। अतःमाननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 31.08.2016 को निरस्त करते हुए प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावे।

**5.हमने** उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेंजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेंचन किया। जिसमे पाया कि वादीगण/प्रार्थीगण की मूलवाद मे मुख्य इस्तदुआ यह चाही गई है,कि वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी स.1 से 3 के विरूद इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा जारी की जावे,कि ग्राम महादेवपुरा तहसील सिणधरी की खसरा सख्या 1 रकबा 214–04 बीधा व खसरा सख्या 24 रकबा 75–09 बीधा भूमि मे वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि मे प्रतिवादी स.1 से 3 ग्रेवल सड़क बनाने का कार्य नही करे तथा न तो स्वंय हस्तक्षेप करे औ न ही किसी अन्य से करावे,इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी स.1 से 3 के विरूद जारी की जावे। इस बिन्दु का निस्तारण तो मूलवाद मे साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर तय किया जाऐगा,कि वादीगण,प्रतिवादी स.1 से 3 के विरूद स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवोन का हकदार है या नही। अभी न्यायालय को हस्तगत आवेदन पत्र मे यह तय करना है,कि प्रथम द्वष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो बिन्दु किसके पक्ष मे बनते है,और कौन अस्थायी निषेघाज्ञा कन्फर्म करवाने का हकदार है,जिसमे पाया कि ग्राम महादेवपुरा पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खेत खसरा सख्या 1

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

रकबा 214–04 बीधा व खसरा सख्या 24 रकबा 75–09 बीधा भूमि के प्राथीगण व विप्रार्थी स.4 से 7 सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2070–2073 से प्रमाणित हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदारान की भूमि मे बिना खातेदारान की सहमति या किसी सक्षम स्तर से खातेदारान की भूमि को बिना समर्पण/अवाप्त किये, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही करवाया जा सकता है,जबकि हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे विप्रार्थी स. 1 से 3 द्वारा बिना भूमि को सर्मपण करवाये या अवाप्त करवाये बिना सड़क का निर्माण कार्य करवाये जाने का प्रयास किया जा रहा है,जो विधि संगत नही है,क्योकि प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारान है,और खातेदारान की भूमि को बिना समर्पण/अवाप्त करवाये किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही करवाया जा सकता है,इस प्रकार प्रथम द्रष्यता मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता है,एवं नायब तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के सलंग्न नजरी नक्शे मे दर्शित बरंग लाल (ग्रेवल सड़क मीटी निर्माण मौके पर निर्माण )के अनुसार सड़क का निर्माण कार्य प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा सख्या 01 मे होना पाया जाता है,जिसका विप्रार्थी स.1 व 2 को कोई विधिकि अधिकार नही है,क्योकि उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमि है,जो बिना सक्षम अवाप्त/समर्पण करवाये बिना निर्माण कार्य करवाने के हकदार नही है,यदि विप्रार्थी स.1 व 2 द्वारा अनैतिक तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे निमार्ण कार्य करवाने मे सफल हो गये,तो प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता है। इस प्रकार

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि पर जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 31.08.2016 को हटाने से अपूरणीय क्षति प्राथीगण को होगी,क्योकि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदारान है,और रिकार्डड खातेदारान की भूमि मे बिना वैधिक अधिकारो के विप्रार्थी स.1 व 2 को निर्माण कार्य किये जाने का कोई अधिकार नही है,यदि स्थगन हटाया जाता है,तो विप्रार्थी स.1 व 2 द्वारा गलत तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे सड़क का निर्माण कार्य करवाया जाऐगा। और प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी। अपूरणीय क्षति का भी बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता है। इस प्रकार प्रथम द्वष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे बनते है। अतः उपरोक्त विवेचन उपरांत न्यायालय विवादित भूमि पर जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 31.08.2016 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाना उचित मानता है।

6.लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश 31.08.2016 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। विप्रार्थी स.1 व 2 कटाण व तरमीम शुदा मार्ग पर रास्ता निकालने के लिए स्वतंत्र है।

22/3/17

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

आदेश आज दिनांक 22/3/17 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

22/3/17

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner